शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 1260 / 79–वि0–1–20–33 / 2013

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह–II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग,
मान्यवर श्री काँशीराम जी ईको गार्डन,
जनसुविधा परिसर, प्रशासनिक भवन, बी–ब्लाक,
लखनऊ –226005

विधायी अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक: 13 अगस्त, 2020

विषयः–वर्तमान सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को अनुमन्य मानदेय व अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के ओदश संख्या–53 /79–वि–1–2014–33/2013, दिनांक 20 जनवरी, 2014 के प्रस्तर–2 के उपप्रस्तर–(झ) में विहित व्यवस्था के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान सातवें उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग में अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को निम्नानुसार मानदेय व अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रू0 30,000/– प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक प्रत्येक कार्य दिवस हेतु रू0 5000/– (वाहन भत्ता सहित)।

(2) दूरभाष हेतु प्रति द्विमासिक आधार पर रू0 1000/– के बराबर अधिकतम धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2– उक्त आदेश श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव द्वारा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से लागू माना जायेगा।

3– उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–जी–1–206(1)यू0ओ0/दस–2020, दिनांक: 13 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह–II)
प्रमुख सचिव ।

......2